1	2	3	4
C.S. (ER) . . .	..	60.0	60.00
Sub-total (ER) . .	1531.32	982.4	2483.72
North Eastern			
Meghalaya . . .	126.71	60 0	186.71
Tripura	16.01	..	16.01
Manipur . . .	2.60	..	2.60
Assam	2 00	126.0	128.00
Nagaland . .	3.20	24.0	27.20
Arunachal Pradesh .	19.45	10 .3	29.75
Mizoram . . .	3.36	3.6	6.96
C.S. (NER) . . .	255.01	445.0	700.01
Sub total (NER) . .	428.34	668 9	1097.24
All India . . .	19194 31	9282.2	28476·51

*C.S.—Central Sector.

विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्ताव

1056 **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री अमरलाल जायसवाल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विद्युत के क्षेत्र में निवेश हेतु किन-किन देशों से कुल कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए कोई नियम/दिशा-निर्देश/आधार तय किए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा कब तक और किन-किन देशों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) सरकार द्वारा मंजूर किए गए संबंधित देशों के प्रस्तावों पर कब से कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की संभावना है और इसका स्वदेशी विद्युत उत्पादक इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) :(क)भारत में 41 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित करने के लिए यू०एस०ए०, यू०के०, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, बेल्जियम, सिंगापुर, मालटा, फ्रांस, रूस, कनाडा, मलेशिया और हांगकांग स्थित निजी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहनों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है(नीचे देखिये) विदेशी निवेश से संबंधित 41 प्रस्तावों में से 12 प्रस्तावों के विदेशी निवेश संबंधी दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । ये प्रस्तावित परियोजनायें अब अन्य सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की विभिन्न अवस्थाओं में है और इनके लिए वित्त पोषण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है ।

(ग) इन परियोजनाओं के वित्तीय समापन के पश्चात् इनमे संबंधित कार्य शुरूआत किए जाने की आशा है । चूंकि निजी क्षेत्र की भागीदारी से सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रयासों की पूर्ति की जा सकेगी

इसलिए स्वदेशी विद्युत उत्पादन यूनिटों पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की परिकल्पना नहीं की गई है ।

विवरण

विद्युत उत्पादन और वितरण में अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने के लिए निजी निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति के बारे में प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्धांत

विद्युत उत्पादन आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है :–

विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों के लिए नए कानून, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण की स्थिति बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है।

- ऐसी विद्युत परियोजनाएं जिनके समक्ष परिव्यय की राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है इनको स्वीकृति के लिए के.वि.प्रा. को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

- निजी क्षेत्र कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनियों के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम स्थापित कर सकती है।

- सभी निजी कंपनियां जो अब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी इनको ऋण इक्विटी का अनुपात 4:1 बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

- प्रवर्तकों का अंशदान कम से कम समग्र परिव्यय का 11% होना चाहिये।

- इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए समग्र परिव्यय के कम से कम 60% की राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से भिन्न स्रोतों से जुटायी जानी चाहिये।

- विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

- विदेशी निवेश के मामले में निर्यात अर्जन के द्वारा लाभांश संतुलन की 51% इक्विटी की शर्त जोकि सामान्यतः लागू होती है विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए वह लागू नहीं होगी।

- परिसंपत्तियों के मामले में कुल राशि की दर को उदार बनाया गया है।

- ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेन्सी (एजेंसियों) रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करती है, विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार के अनुमोदन से उपस्कर आयात करने की भी अनुमति दी जाएगी।

- विद्युत उपस्कर आयात करने के लिए सीमा शुल्क में 20 प्र.श. की या कमी की गयी है और विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण हेतु अपेक्षित मशीनरी के लिए भी इस दर की सुविधा प्रदान की गयी है।

- विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए भारत में किसी भी स्थान पर नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने पर लाभांश और प्राप्तियों के बारे में 5 वर्ष तक के लिए कर वसूल न किए जाने की अनुमति दी गयी है। पांच साल तक कर न वसूल किए जाने की अवधि उस वर्ष से प्रारम्भ होगी जिस वर्ष से विद्युत का उत्पादन आरम्भ किया जाएगा।

- विद्युत क्षेत्र की अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों के लिये सीमा शुल्क की दर कम कर दी गई है ।

- टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्र.श. तक के लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध करायी जा सकेगी।

- 68.5 प्र.श. के संयंत्र भार अनुपात पर निर्धारित लागत वसूल की जा सकती है। इस संयंत्र भार अनुपात में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आकर्षक प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।

- अगस्त, 1994 के संशोधन के पश्चात मार्च, 1992 की टैरिफ अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन करके कुछ शर्तों के अधीन टैरिफ का निर्धारण किया जा सकता है बशर्ते प्रति यूनिट निर्धारित की गई टैरिफ की राशि मानदण्डों के आधार पर प्रति यूनिट की निर्धारित की गई टैरिफ की राशि से अधिक न हो।

विद्युत उत्पाद कंपनियों के लिये प्रस्तावित प्रोत्साहन निम्नवत है :–

- नियामक मानदण्ड जिनके अधीन विद्युत उत्पादन कम्पनियां कार्य करेंगी अधिसूचित कर दिए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रदत्त और निर्धारित इक्विटी पर 16 प्र.श. लाभांश का प्रावधान किया गया है।

- कोयला आधारित, गैस आधारित प्रचालानाधीन विद्युत उत्पादन कम्पनियां और जल विद्युत परियोजनाएं समुचित रूप से निर्धारित टू-पार्ट टैरिफ की बिक्री कर सकती हैं।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन :

- प्रारम्भ में दीर्घ अवाध के लिए 30 वर्ष हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा तदुपरांत इसका नवीकरण जो कि पहले क्रमशः 20 और 18 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था इसके स्थान पर अब यह 20 वर्ष के लिए किया जायेगा ।

- वित्त के 2 प्र.श. के लाभांश की दर के स्थान पर 5 प्र.श. की लाभांश की दर जो कि आर.बी आई. की दर से अधिक हैं ।

- वित्त की आर. वी. आई. की दर से 1 प्र. श. अधिक दर होने की अपेक्षा वास्तविक लागत पर निर्माण के दौरान ब्याज का पंजीकरण (विस्तार परियोजनाओं के लिए भी) ।

- ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोग ।

Dulhasti Hydel Power Project

1057. JAGMOHAN: Will the Minisrer of POWER be pleased to state:

(a) whether work on Dulhasti Hydel Power Project (395 MW) is likely to be resumed shortly;

(b) whether a fresh Memorandum of Understanding is going to be signed by the French consortium;

(c) how much additional financial burden would have to be borne by Government on account of the new MOU;

(d) whether financial and time-losses would have been avoided by providing adequate security to the project staff; and

(e) what steps are being taken to ensure expeditious completion of this important power project?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Work on Dulhasti Hydel Power Project (390 MW) is likely to be resumed during 1995.